



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र 1948 (श10)

(सं० पटना 1104) पटना, सोमवार, 14 सितम्बर 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
27 अगस्त 2026

सं० जी/सेना-05-04/2025-10137—युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक-09.03.2026 से आरंभ होने वाली और दिनांक-08.03.2036 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान, मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास हेतु प्राधिकृत करते हैं। उक्त धारा की उपधारा-(1) के अपेक्षानुसार, उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करने वाली अधिसूचना सं०-2651 दिनांक-12.03.2026, जिसके भीतर दिनांक-09.03.2026 से आरंभ होने वाली और दिनांक-08.03.2036 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान आवधिक रूप से मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है, दिनांक-13.03.2026 के बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है तथा उक्त धारा की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के जारी करने का अभिप्राय प्रकाशित करने वाली अधिसूचना दिनांक-21.07.2026 के बिहार गजट के असाधारण अंक में अधिसूचना सं०-6199 दिनांक-08.06.2026 के द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

भूमि के नक्शा (लैंड प्लान) का निरीक्षण समाहर्ता, सुपौल के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

स्थान का नाम—रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र, सशस्त्र सीमा बल, सुपौल में 100 मीटर सेमी इंडोर बफल रेंज, जिला—सुपौल, बिहार।

क्र०	प्रस्तावित भूमि	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहद्दी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100 मीटर सेमी इंडोर बफल रेंज, आरटीसी, एसएसबी, सुपौल	आसनपुर कुपहा	93	346	361	38डी0	उ0— खेसरा सं0—361 का अंश द0— खेसरा सं0—361 का अंश पूर्व— खेसरा सं0—361 का अंश प0— खेसरा सं0—361 का अंश

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

27 अगस्त 2026

सं० जी/सेना-05-04/2025-10137 दिनांक 27 अगस्त 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड—(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 27th August 2026

S.O. G/Sena-05-04/2025-10137—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practices Act, 1938 (Act 5 of 1938), the Governor of Bihar is pleased to authorize, during the period commencing from dated- 09.03.2026 and ending on date-08.03.2036, the carrying out of Field Firing and or artillery practice throughout the area described in the schedule hereto annexed. A notification, as required by sub-section (1) of the said section, defining the said areas as the area within which for a period of 10 years commencing from date-09.03.2026 and ending on date-08.03.2036, the carrying out periodically of the field firing and the artillery practice may be authorized, has been previously published in the extra-ordinary issue of the “Bihar official Gazette”, dated-13.03.2026 with s.o. no 2651 dated the 12.03.2026 and a notification in respect of the same as required by sub-section (3) of the said section publishing the intention to issue this notification has been previously published in extra-ordinary issue of the “Bihar Gazette”, dated-21.07.2026 with S.O. no.- 6199, dated-08.06.2026.

The map of land (land plan) may be inspected in the office of District Magistrate, Supaul.

Schedule

Name of the Place-100 meter Semi Indoor Baffle Range, RTC, SSB, Supaul,
District-Supaul, Bihar.

S.L. No.	Proposed Land	Mauja	Thana	Khata No.	Plot No.	Area	Boundary
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100 meter Semi Indoor Baffle Range, RTC, SSB, Supaul	Asanpur Kupaha	93	346	361	38 Dec	North- Plot No.-361 Part South- Plot No.-361 Part East- Plot No.-361 Part West- Plot No.-361 Part

By the order of the Governor,
Sd/-Illegible,
Special Secretary to the government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1104-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>